

नियम 141 : अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया

- (1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की हैं और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-05** में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा।
- (2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां ¹[उचित अधिकारी] ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।